सहकारिता विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत
धारा–4 की उप–धारा (1)(ख) के अनुसार

अभिलेख वर्ष – 2016–17

<u>अध्याय– 01</u>

प्रस्तावना

1.1 यह हस्तपुस्तिका सहकारिता विभाग के संगठन, कृत्य, कर्तव्य साथ ही साथ इस विभाग द्वारा संपादित किए जाने वाले सभी कार्य पर विस्तृत प्रकाश डालता है।

1.2 हस्तपुस्तिका का मुख्य उद्देश्य इस विभाग द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य, निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि पर प्रकाश डालता है।

1.3 हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त और कोई सूचना प्राप्त करना हो तो उसके लिए निर्धारित प्रारूप में शुल्क अदा कर आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

<u>अध्याय–02</u>

संगठन की विशिष्टयॉ, कृत्य एवं कर्तव्य

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत धारा–4 की उप–धारा (1) (b) (i)

2 :– सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सचिवालय का एक अंग है जिसके प्रमुख सहकारिता मंत्री होते है। इस विभाग का मुख्य कार्य, सहकारी संस्थाओं के कार्यों के संपादन हेतु नीति निर्माण, सहकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, सहकारी संस्थाओं से संबंधित शिकायतों/आवेदनों का निराकरण, अधिनियम, नियम एवं अधिसूचना तैयार करना, विधान सभा/लोक सभा/राज्य सभा के प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करना तथा विधानसभा से संबंधित समस्त कार्यवाही करना, राजपत्रित अधिकारियों की पदस्थापना, पदोन्नति तथा अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थनांतरण एवं अन्य सेवा संबंधी प्रकरणों का निराकरण, माननीय सर्वोच्च/उच्चन्यायालय/अन्य अधीनस्थ न्यायलयों में शासन की ओर प्रतिरक्षण करना, अधिनियम के प्रावधान के तहत् राज्य शासन को प्रस्तुत अपील प्रकरणों की सुनवाई करना।

2.1 सहकारिता विभाग के अन्तर्गत निम्न शाखाएँ कार्यरत है :–

2.1.1 तकनीकी शाखा (एक):–विधानसभा लोकसभा राज्य सभा से संबंधित समस्त कार्य, सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत पत्रों का निराकरण, अधिनियम नियम में संशोधन और अधिसूचना इत्यादि जारी करना, शासकीय प्रत्याभूति, नाबार्ड और रिजर्व बैंक से संबंधित कार्य ।

2.1.2 तकनीकी शाखा (दो):– महालेखाकार का प्रतिवेदन, बजट एवं योजना तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से संबंधित समस्त कार्य।

2.1.3 तकनीकी शाखा (तीन):– जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री सचिालय, महामहिम राज्यपाल महोदय एवं भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त आवेदन/शिकायतों पर कार्यवाही एवं आयोगो से संबंधित नस्तियों पर कार्यवाही।

2.1.4 स्थापना (एक):– अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना, स्थानांतरण, पदोन्नति क्रमोंन्नति, कर्मचारी कल्याण और सा. प्र. वि. से संबंधित समस्त कार्य।

2.1.5 स्थापना (दो) :– मान. सर्वोच्य/ उच्चन्यायलय और अधीनस्थ न्यायलयों में शासन की ओर से पक्ष समर्थन की कार्यवाही तथा अन्य विधिक कार्यवाहियॉ।

2.1.6 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण :– छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 77 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय बिलासपुर है।

2.1.7 राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग :– छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 50–ख के अधीन राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय रायपुर है।

2.2 कार्यालय का समय :– मंत्रालय हेतु निर्धारित समय।

2.3 सहकारिता विभाग सचिवालय हेतु स्वीकृत पदों की जानकारी :–

क्र0	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त पद
01	सचिव	37400–67000, ग्रेड पे– 10000	1	1	0
02	उप सचिव	15600–39100, ग्रेड पे–7600	1	1	0
02	अवर सचिव	15600–39100, ग्रेड पे–6600	1	1	0
03	अनुभाग अधिकारी	9300–34800, ग्रेड पे–4400	1	1	0
04	सहायक ग्रेड –1	9300–34800, ग्रेड पे–4300	2	1	1
05	सहायक ग्रेड –2	5200–20200, ग्रेड पे–2400	2	0	2
06	सहायक ग्रेड –3	5200–20200, ग्रेड पे–1900	4	2	2
07	दफ्तरी	4750–7440, ग्रेड पे–1400	1/2	0	1/2
08	भृत्य	4750–7440, ग्रेड पे–1300	1/2	0	1/2

टीप:– विभागाध्यक्ष एवं अन्य कार्यालयों से संयुक्त पंजीयक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहायक ग्रेड–2, सहायक ग्रेड–3, डाटा एन्ट्री आपरेटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर और भृत्य संलग्न होकर कार्यरत है।

अध्याय– 03

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत धारा–4 की उपधारा (1) (b) (ii)

3 सहकारिता विभाग में निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारी होते है :–

(i) सहकारिता मंत्री,
(ii) सचिव, सहकारिता,
(iii) उप सचिव, सहकारिता,
(iii) अवर सचिव, सहकारिता,
(iv) अनुभाग अधिकारी,
(v) सहायक ग्रेड–1, 2, 3
(vi) भृत्य/दफ्तरी,

3.1 अधिकारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य निम्नानुसार है :–

3.1.1 सहकारिता मंत्री –सहकारिता विभाग के प्रमुख सहकारिता मंत्री होते है। अधिनियम, नियम में संशोधन तथा अन्य नीतिगत मामलों, विभागीय बजट तथा योजनाओं से संबंधित मामले, राशि निर्गमन, विधानसभा, लोकसभा, एवं राज्य सभा के प्रकरण, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापना एवं मंत्रि–परिषद को प्रस्तुत किए जाने वाले विषय आदि कार्य में प्रशासकीय निर्णय सहकारिता मंत्री जी द्वारा लिए जाते है।

3.1.2 सचिव – विभाग के नियंत्रक अधिकारी होते है, जिनके प्रमुख कार्य हैः–

(1) नीतिगत मामलों से संबंधित प्रकरण।
(2) बजट तथा योजनाओं से संबंधित प्रकरण।
(3) विधानसभा, लोकसभा और राज्य सभा से संबंधित प्रकरण।
(4) प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के मामले तथा समस्त स्थांतरण प्रकरण।
(5) मंत्री परिषद से संबंधित मामले।
(6) अधिनियम, नियम में संशोधन, अध्यादेश और अधिसूचना से संबंधित प्रकरण।
(7) छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 77 के अधीन अपील प्रकरण की सुनवाई हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण, बिलासपुर का गठन किया गया है।
(8) महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव तथा भारत सरकार या अन्य राष्ट्रीय स्तर के ऐजन्सियों से संबंधित प्रकरण।
(9) उपरोक्त के अलावा अन्य महत्वपूर्ण मामले ।

3.1.3 उप सचिवः– उप सचिव के निम्न कार्य होते है :–

(1) सचिव के कार्य में सहायता करेंगे साथ ही साथ कर्मचारियों की व्यवस्था एवं अनुशासन तथा उन पर नियंत्रण रखना और उनके काम–काज को ठीक ढंग से चालाये जाने के लिए जिम्मेदार होंगे।
(2) स्थापना एवं तकनीकी शाखा से संबंधित सभी नस्तियों में प्रकरण के विश्लेषण टीप सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु सचिव को प्रस्तुत करते है।

3.1.4 अवर सचिवः– अवर सचिव के निम्न कार्य होते है :–

(1) सचिव के कार्य में सहायता करेंगे साथ ही साथ कर्मचारियों की व्यवस्था एवं अनुशासन तथा उन पर नियंत्रण रखना और उनके काम–काज को ठीक ढंग से चालाये जाने के लिए जिम्मेदार होंगे।
(2) स्थापना शाखा से संबंधित सभी नस्तियों में प्रकरण के विश्लेषण टीप सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/उप सचिव को प्रस्तुत करते है।

3.1.5 अनुभाग अधिकारी :– सचिवालय कार्यालयीन पुस्तिका के अनुसार निर्धारित कार्य सम्पादित करना एवं अनुभाग का पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन एवं नियंत्रण का कार्य करते है।

3.1.6 सहायक ग्रेड–1 एवं 2 :–सचिवालय कार्यालयीन पुस्तिका के अनुसार निर्धारित कार्य सम्पादित करना एवं नस्ती संधारण एवं प्रस्तुति का कार्य करते है

3.1.7 सहायक ग्रेड–3 :–सचिवालय कार्यालयीन पुस्तिका के अनुसार निर्धारित कार्य सम्पादित करना एवं आवक–जावक / टायपिंग आदि का कार्य करते है।

3.1.8 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी:–सचिवालय कार्यालयीन पुस्तिका के अनुसार निर्धारित कार्य सम्पादित करना एवं कार्यालय एवं अधिकारियों की नस्ती आवाजाही में मदद करते है।

अध्याय– 04

निर्णय प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाने वाली कार्यप्रणाली इसमें सनियंत्रण एवं जवाबदेही की व्यवस्था उल्लेखित हो

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत धारा–4 की उपधारा (1) (b) (iii)

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) (b) (ii) में दिये गये ''अधिकारी / कर्मचारी के अधिकार एवं कर्त्तव्य'' में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यप्रणाली एवं जवाबदेही का विवरण दिया गया है। शासन के कार्य आबंटन नियम, छत्तीसगढ कार्यपालक शासन के कार्यनियम तथा सचिवालयीन कार्यालय पुस्तिका के प्रकाश में सहायक ग्रेड–1 एवं सहायक ग्रेड–2 प्रकरणों में तथ्यों का तथा प्रकरण के इतिहास को संक्षिप्त उल्लेख करते हुए नियम और पूर्वोदाहरण बताने का कार्य करते है, अनुभाग अधिकारी इनकी पुष्टि करते हुए प्रकरण अग्रिम कार्यवाही के लिये उच्च स्तर की ओर अग्रेषित करते है । अवर सचिव आवश्यकतानुसार प्रकरण का विश्लेषण करते है एवं उनके अन्तर्गत जारी नियम निर्देशों के अनुसार उच्च स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न स्तर के अधिकारियों / कर्मचारियों की कार्यप्रणाली एवं दायित्वों के निर्वहन का अवलोकन, निरीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय प्रमुख / नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावे।

अध्याय– 05

कार्य करने का निहित मापदण्ड

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत धारा–4 की उपधारा (1) (b) (iv)

शासन के कार्य आवंटन नियम, छत्तीसगढ कार्यपालक शासन के कार्यनियम तथा सचिवालयीन कार्यालय पुस्तिका में निहित वर्णित प्रावधान के अनुसार मापदण्ड होंगे।

अध्याय– 06

विभाग द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले नियमों, आदेशों, अभिलेखों,अधिनियमों, संहिताओं को तुरंत उपलब्ध कराने हेतु तैयार रखना

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत धारा–4 की उपधारा (1) (b) (v)

विभाग द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले नियमों, अधिनियमों, संहिताओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(01) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960,
(02) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962,
(03) छत्तीसगढ़ सहकारी सेवा भर्ती नियम 2015,
(04) ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार नियम 2004,
(05) कृषकों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम–2014,
(06) छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की अनुदानों की मांगे 2017–18, मांग संख्या 17– सहकारिता, मांग संख्या 41 – अनुसूचित जन जाति उपयोजना, मांग संख्या 64 – अनुसूचित जाति उपयोजना।
(07) छत्तीसगढ़ शासन, बजट अनुमान वर्ष 2017–18, खंड–2 (राजस्व, प्राप्तियॉ तथा लोक लेखा के विस्तृत अनुमान),

अध्याय– 07

विभाग के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार के अभिलेखों की सूची तैयार करना

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत धारा–4 की उपधारा (1) (b) (vi)

सहकारिता विभाग में व्यवस्थित एवं त्वरित कार्य संपादन को दृष्टिगत रखते हुए स्थापना, शिकायत, योजना तथा बजट, विधि, तकनीकी आदि शाखाओं का गठन किया गया है। गठित शाखाओं द्वारा संबंधित विषयों की नस्तियॉ कक्षों में संधारित की जाती हैं, जिनकी सूची तैयार है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन नये–नये अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, जिन पर कार्यवाहियॉ प्रारंभ की जाती है जिनके अभिलेख भी बनते हैं। प्रचलित अभिलेखों की सूची विभाग में उपलब्ध है। कतिपय महत्वपूर्ण विषय से संबंधित नस्ती का विवरण निम्नानुसार है :–

(01) वार्षिक योजनाओं की नस्तियॉ,
(02) पंचवर्षीय योजना की नस्ती,
(03) विभिन्न सहकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रचलित नस्तियॉ,
(04) विधान सभा की लोक लेखा समिति एवं अन्य समितियों से संबंधित नस्तियॉ,
(05) विधान सभा / लोक सभा / राज्य सभा के प्रश्नों के उत्तर संबंधी नस्तियॉ,
(06) महालेखाकार से पत्राचार संबंधी नस्तियॉ,
(07) मानव अधिकार आयोग, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, अनुसूचित जनजाति आयोग एवं अन्य आयोगों से संबंधित पत्राचार की नस्तियॉ,
(08) राजपत्रित अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावलियों का संधारण,
(10) राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति, क्रमोन्नति, विभागीय जॉच की नस्ती,
(11) राष्ट्रपति सचिवालय,प्रधान मंत्री कार्यालय,राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय, जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ से प्राप्त जनता के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करना,
(12) सहकारिता के क्षेत्र उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति / संस्था को ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरूस्कार प्रदान करने की नस्ती,
(13) माननीय सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय / एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य शासन की ओर से प्रतिरक्षण संबंधी नस्तियॉ,

(14) सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण की नस्तियॉ,
(15) सहकारी बैंकों के संबंध में रिजर्व बैंक और नाबार्ड से संबंधित पत्राचार की नस्तियॉ,
(16) सहकारी संस्थाओं को शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने संबंधी नस्ती,
(17) विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा शासन को प्रस्तुत आवेदन पर की गई कार्यवाही से संबंधित नस्तियॉ,
(18) मंत्रि–परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत नस्तियॉ,
(19) अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा राज्य शासन को प्रस्तुत अपील संबंधी नस्तियॉ,
(20) अधिकारी/कर्मचारियों के सेवा मामले संबंधी अन्य अभ्यावेदनों की नस्ती,
(21) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से पत्राचार संबंधी नस्ती,
(22) भारत सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय से पत्राचार संबंधी नस्ती,

अध्याय– 08

निर्णय लेने की प्रक्रिया में सर्वसाधारण जनता से सलाह–मशविरा करने की व्यवस्था हो तो उसका उल्लेख

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत धारा–4 की उपधारा (1) (b) (vii)

सहकारिता विभाग अंतर्गत शासकीय कार्यो के संपादन में सर्वसाधारण जनता से सलाह–मशविरा करने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है, तथापि प्राप्त शिकायतों/आवेदनों एवं सुझावों का परिशीलन कर तद्नुसार कार्यवाही की जाती है।

अध्याय– 09

काउन्सिल, बोर्ड, समिति या अन्य कोई व्यवस्था, जिसमें दो से अधिक सदस्य हों, उसका उल्लेख एवं इन समितियों के सभा में सर्वसाधारण जनता को उपस्थित रहने का अधिकार यदि हो तो उसका कथन

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत धारा–4 की उपधारा (1) (b) (viii)

सहकारिता विभाग द्वारा ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार हेतु गठित निर्णायक मण्डल (जूरी) :–

(1)	माननीय सहकारिता मंत्री	–	अध्यक्ष
(2)	राज्य शासन द्वारा नामांकित अशासकीय सदस्य (2)	–	सदस्य
(3)	सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता	–	सदस्य
(4)	पंजीयक सहकारी संस्थाएं,	–	संयोजक सदस्य

अध्याय–10

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत धारा–4 की उपधारा (1) (b) (ix)

सहकारिता विभाग मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का निवास स्थान एवं दूरभाष की सूची

क्र.	नाम	पदनाम	निवास स्थान का पता	दूरभाष क्रमांक
01	श्री डी.डी. सिंह	सचिव	डी–1, शंकर नगर, रायपुर	कार्या – 2221310
02	श्री पी.एस. सर्पराज	उप सचिव	बी–10, विशाल नगर, रायपुर	कार्या – 2510932
03	श्री जेवियर केरकेट्टा	अवर सचिव	जी.ए.डी. काम्पलेक्स, कबीर नगर, रायपुर	कार्या – 2510066
04	श्री सुनील मैत्री	अनुभाग अधिकारी	रूआ बांधा, रिसाली, दुर्ग	कार्या – 2510956
05	श्रीमती वंदना भारती	सहायक ग्रेड–1	डी.डी.यू. नगर, रायपुर	कार्या – 2510956
06	श्री शंभू लाल पटेल	सहायक ग्रेड–2	सेक्टर–27, नया रायपुर	कार्या – 2510956
07	श्री सुरेश तिवारी	सहायक ग्रेड–3	मोहबा बाजार, राजीव नगर, रायपुर	कार्या – 2510956
08	श्री योगेन्द्र बर्मन	सहायक ग्रेड–3	कबीर नगर, रायपुर	कार्या – 2510956
09	श्री गौरव कुमार राय	सहायक ग्रेड–3	दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर–3, रायपुर	
10	श्री राकेश तिवारी	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	अर्जुन विहार, मोहबा बाजार, रायपुर	कार्या – 2510956
11	श्रीमती पुष्पा शर्मा	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	दुबे कालोनी, मोवा, रायपुर	कार्या – 2510956
12	श्री बेनूराम यादव	सहा. ग्रेड –2	यादव पारा, कुशालपुर, रायपुर	कार्या – 2510956
13	श्री रोहित कुमार वर्मा	सहा. ग्रेड –3	दोंदेकला रायपुर (मटिया)	कार्या – 2510956
14	श्री शीतल त्रिवेदी	सहा. ग्रेड–3	पदुम नगर, भिलाई–3, भिलाई	कार्या – 2510956
15	श्री भुपेन्द्र कुमार वर्मा	डाटा एन्ट्री आपरेटर	एल.आई.जी.–294, दिनदयाल आवासीय कालोनी, सड्डू, रायपुर	मो. 9753686067
16	श्री जय प्रकाश वर्मा	कम्प्यूटर आपरेटर	प्राथमिक स्कूल के पीछे, पुरान चंगोरा भटा, रायपुर	कार्या – 2510956
17	श्री नितीन यादव	भृत्य	पुरानी बस्ती, रायपुर	कार्या – 2510956
18	श्री लाल राजेन्द्र सिंह	भृत्य	प्रोफेसर कालोनी, महामाया नगर, रायपुर	कार्या – 2510956

अध्याय–11

संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों को देय मासिक पारिश्रमिक/क्षतिपूर्ति, जो विनियमनों के अंतर्गत देय हो

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत धारा–4 की उपधारा (1) (b) (x)

विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को मासिक पारिश्रमिक राज्य शासन द्वारा निर्धारित वेतन पद के अनुसार किया जाता है।

अध्याय–12

विभाग को आवंटित बजट एवं खर्च करने की प्रक्रिया

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत धारा–4 की उपधारा (1) (b) (xi)

वर्ष 2017–18 के लिए विभाग एवं विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों को मांग संख्या 17 के अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा बजट आवंटन किया जाता है जो पुस्तिका के रूप में प्रति वर्ष जारी किया जाता है । विभाग को आबंटित बजट पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा उपयोग की जाती है।

अध्याय– 13

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत धारा–4 की उपधारा (1) (b) (xii)

विभाग द्वारा किसी कार्यक्रम को राज्य सहायता नहीं दी जाती है। बजट में प्रावधानित राशि अनुदान एवं सहायता राशि पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा योजना के स्वरूप अनुसार सहकारी संस्थाओं तथा सदस्यों को उपलब्ध कराई जाती है।

अध्याय–14

'' ऐसे लोगों की सूची, जिन्हें परमिट, लाइसेंस, छूट या अनुमति दी गई हो''

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत धारा–4 की उपधारा (1) (b) (xiii)

विभाग द्वारा कोई रियायत/अनुज्ञा–पत्र जारी नहीं किया जाता है।

अध्याय– 15

इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचनाएँ

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत धारा–4 की उपधारा (1) (b) (xiv)

उक्त सर्वसूचना इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध है। जो वेब साईट http://coop.cg.gov.in/ में परिचालित है।

अध्याय–16

जनता द्वारा सूचना मांगने के लिए उपलब्ध सुविधाओं यथा इंटरनेट, वाचनालय या अन्य व्यवस्था, जो जनता के लिए उपलब्ध हों, का कथन

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत धारा–4 की उपधारा (1) (b) (xv)

अध्याय 15 में उल्लेखित इलेक्ट्रानिक जानकारी के अलावा विभाग से संबंधित कतिपय विषय की जानकारी http://coop.cg.gov.in/ पर भी उपलब्ध है।

अध्याय–17

जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरण

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत धारा–4 की उपधारा (1) (b) (xvi)

विभाग द्वारा जनता को सूचना उपलब्ध कराने हेतु जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी एवं अपील प्रकरणों के निपटारे हेतु अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	नाम	पदनाम	पूर्ण पता	दूरभाष
01	श्री पी.एस. सर्पराज	उप सचिव एवं अपीलीय अधिकारी	बी–10, विशाल नगर, रायपुर	कार्या – 2510932
02	श्री सुनील मैत्री	अनुभाग अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी	रूआ बांधा, रिसाली, दुर्ग	कार्या – 2510956
03	श्रीमती वंदना भारती	सहायक ग्रेड–1 एवं सहायक जन सूचना अधिकारी	डी.डी.यू. नगर, रायपुर	कार्या – 2510956

अध्याय–18

विभाग द्वारा प्रावधानित की गई अन्य सूचना

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत धारा–4 की उपधारा (1) (b) (xvii)

सूचना का अधिकार–2005 लागू होने के उपरांत चाही गई जानकारी एवं सूचना निर्धारित प्रावधान के अनुरूप आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए नियमानुसार प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।